रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1976/पौष 3, 1898
No. 422] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1976/PAUSA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1976

G.S.R. 945(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Burmah Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Burmah Shell (Acquisition of Undertakings in India) (Administration of Fund) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. **Administration of funds pending constitution of trusts.**—The funds standing to the credit of a provident fund, superannuation fund, welfare fund or other fund established by Burmah Shell for the benefit of the persons employed by it in connection with its undertakings in India and standing transferred to the Government company under sub-section (1) of section 10 of the Burmah Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976) shall, until the constitution of one or more trusts as referred to in sub-section (3) of that section, be dealt with by the Government company in accordance with the provisions of the rules and regulations applicable to or of any law governing, the respective provident fund, superannuation fund, welfare fund or other fund and in force immediately before the 24th day of January, 1976.

[No. F. R-37012/1/76/Dist.]

M. RAMASWAMI, Jt. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

सा० का० नि० 945(अ).—केन्द्रीय सरकार, बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) (निधि का प्रशासन) नियम, 1976 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. **न्यासों के गठन तक निधियों का प्रशासन.**—बर्मा शैल द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए स्थापित भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि के खाते में जमा और बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी को अन्तरित निधियों के विषय में संव्यवहार, उस धारा की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट एक या अधिक न्यासों का संगठन होने तक, सम्बन्धित भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि को लागू नियमों और विनियमों या उन्हें शासित करने वाली किसी निधि के उपबन्धों, जो 24 जनवरी, 1976 से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थे, के अनुसरण में उस सरकारी कम्पनी द्वारा, किया जाएगा ।

[सं० फा० आर-37012/1/76-वितरण]

एम० रामस्वामी, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976